डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवजीन

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2002—फाल्गुन 3, शक 1923

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2002

क्रमांक 308/168/2002/1/5.—मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट 1938 (क्रमांक 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कमान्डेट केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (उतई) भिलाई जिला दुर्ग के लिये उल्लिखित किये गये क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जिसके भीतर दिनांक 1-1-2002 से प्रारंभ होने तथा



नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

दिनांक 31-12-2005 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की कालावधि के लिये नियतकालिक रूप से मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास का किया जाना प्राधिकृत किया जा सकेगा.

2. भू-रेखांक का निरीक्षण कलेक्टर दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकेगा.

## क्षेत्र के ब्यौरे

| क्र. | तहसील का नाम | ग्राम का नाम प. ह. नं. एवं रा. नि. मं. | राजस्व भूमि का क्षेत्र (हेक्टर) | वन भूमि (हेक्टर) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | दुर्ग (छत्तीसगढ़) | डुमरडीह प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. अण्डा | ख. नं. 03 रकबा 59.74 हे. | - |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**इंदिरा मिश्रा**, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2002

क्रमांक 336/308/साप्रवि/2001/2.—श्री बी. के. मिंज, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, शिक्षा विभाग को दिनांक 26-12-2000 से 29-1-2001 (35 दिवस) तक का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. तथा साथ ही दिनांक 24 व 25 दिसम्बर 2000 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज को आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव के पद पर शिक्षा विभाग, छ. ग. शासन में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2002

क्रमांक 338/3773/साप्रवि/2001/2.—श्री व्ही. के. कपूर, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा सह सचिव, वित्त विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 1636/3358/साप्रवि/2001/2, दिनांक 7-12-2001 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 19-12-2001 से 22-12-2001 (चार दिवस) का निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दुर्गेश मिश्रा**, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2002

क्रमांक 308/45/साप्रवि/2002/2.—श्री चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव, कृषि, सहकारिता, पशुपालन एवं मछली पालन विभाग को दिनांक

2-1-2002 से 25-1-2002 (24 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा साथ में दिनांक 26 एवं 27 जनवरी, 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. अवकाश से वापिस लौटने पर श्री बेहार को विशेष सचिव, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विभा चौधरी**, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2002

क्रमांक 944/118/साप्रवि/2002/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1399/3061/साप्रवि/2001/2/लीव/आईएएस, दिनांक 20-11-2001 को संशोधित करते हुए श्री आर. एस. विश्वकर्मा को दिनांक 19 दिसम्बर से 24 दिसम्बर (6 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 15 से 18 एवं 25 दिसम्बर, 2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. आदेश दिनांक 20-11-2001 में बिन्दु क्रमांक (2) से (4) यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी**, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

---

## जेल विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2002

क्रमांक एफ-2/13/जेल/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

### आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
   (2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाए.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमांण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

## अनुसूची

| क्रमांक (1) | विधि का नाम (2) |
|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश कारागार में परिरूद्ध पागल अपराधी का उपचार नियम 2000 |

Raipur, the 14th February 2002

No. F-2/13/Jail/2001.—In exercise of the powers conferred by the Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation
Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

## ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation Order, 2002.
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, Specified in the Schedule to this Order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification and that in the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Any thing done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh

## SCHEDULE

| S.No. (1) | Name of Law (2) |
|---|---|
| 1. | M. P. Treatment of Criminal Lunatics Confined in Prisons, Rules 2000. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/19 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | बेलटिकरी | 0.387 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | जोंक मुख्य नहर का निर्माण कार्य. |

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/20 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | गोविन्दवन | 0.641 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | जोंक मुख्य नहर का निर्माण कार्य. |

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/21 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | ठाकुरदिया | 0.058 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | जोंक मुख्य नहर का निर्माण कार्य. |

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/22 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | छपोरा | 0.146 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | जोंक मुख्य नहर का निर्माण कार्य. |

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/23 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | चुरेला | 0.808 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | जोंक मुख्य नहर का निर्माण कार्य. |

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/24 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | धारासीव | 0.473 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | जोंक मुख्य नहर का निर्माण कार्य. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमिताभ जैन,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.